



अति-आवश्यक
सेवा में,

सगी प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) तथा
आई.टी.ओ. टी, रोहतक,
(हरियाणा राज्य में)।

Subject:- यदि कमांक प्रशासन-1/एए/केसी/टीए/2/7/मर्जर/1993
दिनांक: 29/9/2015
Minutes of the Meeting held under the Chairmanship of Chief Secretary Govt.
Haryana on dated 22-09-2015 at 10:30 AM for transfer of Vocational Education
Cadre Staff from Industrial Training Department to Secondary Education
Department.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान में व्यवसायिक शिक्षा स्कीम से कार्यरत
अधिकारियों/कर्मचारियों को शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित करने बारे दिनांक 22.9.2015 को मुख्य सचिव, हरियाणा
सरकार की अध्यक्षता में हुई मितिंग में लिये गये निर्णय अनुसार मामले में आगामी कार्यवाही हेतु निम्न सूचना की
आवश्यकता है:-

क्र०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व मूल पद संज्ञा	वर्तमान में जिरा पद पर कार्यरत है, उस पद का नाम	वर्तमान पद की योग्यता पूर्ण करता है अथवा नहीं।	अधिकारी/कर्मचारी इस विभाग में रहना चाहता है या शिक्षा विभाग में जाना चाहता है, बारे ऑपशन प्राप्त करके सलग्न करे।

अतः आप अपने संस्थान में व्यवसायिक शिक्षा काडर के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को नोट
करवाये और उनसे लिखित ऑपशन प्राप्त करके उपरोक्त प्रोफार्मा में भरकर लिखित ऑपशन की प्रति सहित आवश्यक
सूचना दिनांक 1.10.2015 सांय 4.00 बजे तक हर-हालत में ई-मेल ramphalsheokand1961@gmail.com द्वारा
भेजे तथा मूल प्रति डाक द्वारा भेजी जाये।

आदेशों की दृढ़ता से पालना करे।

पू० कमांक प्रशासन-1/एए/केसी/टीए/2/7/मर्जर/1994

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. निदेशालय पर कार्यरत अधिकारी (व्यवसायिक शिक्षा काडर से सम्बन्धित)।
2. नोडल अधिकारी विभागीय वेबसाईट को उक्त पत्र विभागीय वेब-साईट पर आज ही डालने हेतु भेजी जाती
है।

Uter.
सहायक निदेशक (प्रशासन-1)
कृते: महानिदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।
दिनांक 29/9/2015

Uter.
सहायक निदेशक (प्रशासन-1)
कृते: महानिदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।